कार्यालय उज्जैन विकास प्राधिकरण उज्जैन

क्रमांक 01/2012 समग्र एवं संतुलित विकास की दिशा में .... दिनांक 02.01.2012

//द्वितीय विज्ञप्ति//

"त्रिवेणी विहार में निर्माणाधीन आवासीय भाडाक्रय योजना में विभिन्न आरक्षित वर्ग के शेष रहे भवनों के पंजीयन हेतु सुनहरा अवसर"

त्रिवेणी विहार योजना सेक्टर बी में 50 व 100 एवं 150 ई.डब्ल्यु.एस. श्रेणी के भवनों में पूर्व विज्ञप्ति के अंतर्गत शेष भवनों के पंजीयन हेतु आरक्षणवार पंजीयन दिनांक 31.01.2012 से पंजीयन पूर्ण होने तक प्रतिदिन प्रातः 11.00 बजे से अपरांह 4.00 बजे तक सम्पदा शाखा में प्रथम आओ प्रथम पाओ पद्धती के आधार पर पंजीयन पूर्ण होने तक आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते है। भवनों के पंजीयन हेतु प्रथम दिन निर्धारित संख्या से अधिक आवेदन पत्र प्राप्त होने पर पंजीयन लाटरी पद्धति से उसी दिन सायंकाल 4.30 बजे कन्फर्म किये जावेंगे। जिन आवेदनकर्ताओं के पंजीयन लाटरी पद्धति से कन्फर्म नही होंगे, उनकी जमा पंजीयन राशि बिना ब्याज/बिना कटौत्रा के वापस की जावेगी। प्रथम दिन में पंजीयन पूर्ण नही होन की दशा में पंजीयन पूर्ण होने तक आवेदन पत्र स्वीकार किये जावेंगे।

1— प्रस्तावित भवन का अनुमानित निर्मित क्षेत्रफल लगभग 25.00 वर्ग मीटर एवं भूखण्ड का अनुमानित आकार 4.50X9.00 मी0 = 40.50 व.मी. होगा।

2— भवन की अनुमानित लागत रूपये 4,97,000/— होकर पंजीयन राशि रूपये 42,500/—है। उक्त राशि आवेदन फार्म के साथ जमा करवाना होगी। पूर्व के पंजीकृत सदस्यों से भवन निर्माण के पूर्व की प्रथम किश्त की मांग की चुकी है। अतः पंजीयन प चात मांग सूचना पत्र अनुसार प्रथम किश्त राशि रू. 50,000/—30 दिवस में जमा करवाना होगी। भवन आधिपत्य पूर्व की राशि भवन निर्माण की प्रगति अनुसार चार किश्तों में प्रति कि त 50,000/— एवं पांचवी व अंतिम किश्त राशि रू. 55,000/—जमा करवाना होगी।

3— भवन निर्मित होने पर तथा मांग अनुसार भवन आधिपत्य पूर्व की पूर्ण राशि जमा होने के पश्चात सभी वर्ग के पंजीयन मिलाकर लाटरी पद्धति से प्राप्त वरियता क्रमानुसार भवनों का चयन करवाया जावेगा।

4— भाडाक्रय योजना के अंतर्गत भवन आधिपत्य के पश्चात शेष राशि रूपये 2,00,000/—(दो लाख) 14 वर्षो की मासिक किश्तों में भवन आवंटन तिथि से रूपये 2233/— (प्रतिमाह दिनांक 01 से 10 के मध्य) देय होगी।

5— भूखण्ड/भूमि लीज पर रहेगी। लीजरेंट प्रतिवर्ष अग्रिम देय होगा।

6— आरक्षण की स्थिति निम्नानुसार हैः—

पूर्व की विज्ञप्ति तथा रिक्त पंजीयन की कुल संख्या	संख्या	अनु. जन जाति	स्वतंत्रता सं सेनानी	सैनिक/भूतपूर्व सैनिक	प्राधि.अधि. /कर्म.
50 ई.डब्ल्यु.एस. पूर्व वि.क्र. 99/10 दि. 01.10.10 में से शेष	09	06	01	01	01
100 ई.डब्ल्यु.एस. पूर्व वि.क्र. 128/10 दि. 09.12.10 में से शेष	14	08	04	——	02
150 ई.डब्ल्यु.एस. पूर्व वि.क्र. 25/11 दि. 04.02.11 में से शेष	15	06	06	——	03

7— पंजीयन हेतु आवेदन पत्र प्राधिकरण कार्यालय की सम्पदा शाखा में दि. 23.01.2012 से रूपये 100/— (एक सौ) जमा करवाकर प्राप्त किये जा सकते है, उक्त राशि वापसी योग्य नही होगी।

8— पंजीयन हेतु वे ही आवेदक पात्र होंगे जिनके परिवार की आय सीमा रू. 5000 से रू. 10,000 प्रतिमाह के मध्य होगी। 10,000 से अधिक आय सीमा वाले आवेदन पत्र स्वीकार नही किये जावेंगे।

9— पंजीयन हेतु पंजीयन राशि क्रास्ड बैंक ड्राफ्ट द्वारा उज्जैन विकास प्राधिकरण उज्जैन के खाते में भुगतान योग्य हो अथवा नकद धनराशि चालान द्वारा इण्डियन ओवरसीज बैंक भरतपुरी उज्जैन के काउन्टर में जमा हो, ही मान्य की जावेगी। पंजीयन राशि हेतु चेक कतई स्वीकार नही किये जावेंगे। अन्य शर्ते आवेदन फार्म में उल्लेखित है। जो बंधनकारक होकर पालनीय है। किसी भी प्रकार का विवाद उत्पन्न होने की स्थिति में प्राधिकरण का निर्णय अंतिम होकर मान्य होगा।

10— आरक्षित वर्ग के तहत आवेदन पत्र प्रस्तुतकर्ताओं को जाति प्रमाण पत्र आदि का प्रमाणिकरण करवाना आव यक होगा।त्रुटी पाये जाने पर आवेदक स्वयं जिम्मेदार होंगे।

11— अन्य जानकारियों हेतु प्राधिकरण की वेब साईट WWW.udaujjain.org. देखें।

(हुकुमसिंह पाटीदार)
सम्पदा अधिकारी
"बेटी है तो कल है" उज्जैन विकास प्राधिकरण उज्जैन

PRAVEEN/TRVN